रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2015/आषाढ़ 30, 1937
No. 198] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2015/ASADHA 30, 1937

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**(वाणिज्य विभाग)**

**(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई 2015

**जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना**

**(मध्यावधि समीक्षा जांच)**

**विषय : चीन जन. गण., ईयू, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा ऐश के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा जांच (एमटीआर) की शुरूआत।**

**सं. 15/28/2014–डीजीएडी.—यत:** वर्ष 1995 और तत्पशत यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 20 अगस्त 2010 की अधिसूचना सं. 14/17/2010–डीजीएडी के जरिए चीन जन. गण., ईयू, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और यूएसए (जिन्हें एतद्पश्चात संबद्ध देश/क्षेत्र भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा ऐश (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु या डाइसोडियम कार्बोनेट भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत की थी और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए दिनांक 17 फरवरी 2012 की अधिसूचना सं. 14/17/2010-डीजीएडी के जरिए अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे। केंद्र सरकार ने दिनांक 3 जुलाई 2012 की अधिसूचना सं. 34/2012-सीमा-शुल्क(एडीडी) के जरिए संबद्ध देशों/क्षेत्रों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

**क. <u>मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत हेतु अनुरोध</u>**

**2.** संबद्ध वस्तु के आयातकों/प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि निकाय ऑल इंडिया ग्लास मैन्यूफैक्चरर्स फेडरेशन (एआईजीएमएफ) ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा की शुरूआत का अनुरोध करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने दावा किया है कि मूल जांच की जांच अवधि के दौरान जो परिस्थितियां थीं उनमें अत्यधिक परिवर्तन आया है जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की जरूरत नहीं है।

**ख. समीक्षा का आधार**

**3.** आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु की आयात कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है; कि घरेलू बिक्री कीमतों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है; कि प्रमुख कच्ची सामग्री की लागत भी बढ़ गई है परंतु उनमें हुई वृद्धि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की कीमत में हुई वृद्धि के समानुपातिक नहीं है। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि आयात कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप आयातों की पहुंच कीमत में हुई वृद्धि से क्षति मार्जिन कम हो गया है और इसके परिणामस्वरूप शुल्क के मौजूदा स्तर की समीक्षा की जरूरत उत्पन्न हो गई है।

**ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

4. विचाराधीन उत्पाद डाइसोडियम कार्बोनेट है जिसका लोकप्रिय नाम सोडा ऐश और रसायनिक सूत्र एनए2सीओ3 है। सोडा ऐश सफेद, दानेदार, पानी में घुलनशील पदार्थ है। सोडा ऐश का उत्पादन दो रूपों में होता है – लाइट सोडा ऐश और सघन सोडा ऐश। दोनों किस्मों में अंतर थोक सघनता का होता है। इसके अतिरिक्त, सोडा ऐश या तो प्राकृतिक सोडा ऐश होता है या कृत्रिम सोडा ऐश। दोनों उत्पाद अनिवार्यत: समान होते हैं। तथापि, वर्तमान याचिका में सोडा ऐश की सभी किस्में और रूप शामिल हैं।सोडा ऐश का उत्पादन प्राकृतिक और कृत्रिम तरीकों से किया जा सकता है। प्राकृतिक सोडा ऐश में मामले में, जहां वृहत पैमाने पर सोडियम कार्बोनेट के प्राकृतिक विक्षेप प्राप्त होते हैं, वहां घुलन प्रकिया अपनाई जाती है। कृत्रिम सोडा ऐश में मामले में, जहां प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध न हों जैसाकि भारत के मामले में है, कृत्रिम प्रक्रिया के विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है।

5. डिटर्जेंट्स, साबुनों, सफाई संबंधी यौगिकों, सोडियम आधारित रसायनों, फ्लोट ग्लास, कंटेनरों और स्पेश्यालिटी ग्लासेस, सिलिकेट्स तथा अन्य औद्योगिक रसायनों के विनिर्माण के लिए सोडा ऐश अनिवार्य निविष्टि है। इसका व्यापक प्रयोग टेक्सटाइल्स, पेपर, मेटलर्जिकल उद्योगों और डिसैलिनेशन संयंत्रों में भी किया जाता है।

6. सोडा ऐश अकार्बनिक रसायन है। इसे सीमा-शुल्क अधिनियम 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और यह सीमा-शुल्क उप शीर्ष सं. 2836.20 के अंतर्गत आता है। तथापि सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है।

**घ. <u>शामिल देश/क्षेत्र</u>**

7. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन. गण., ईयू, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और यूएसए हैं।

**ड. <u>जांच शुरूआत</u>**

*8.* दिनांक 1 मार्च, 2011 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 15/2011 के द्वारा यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के उप नियम (1) और (1क) का पाठ निम्नानुसार है:

(1) *अधिनियम की धारा 9क के उपबंधों के अंतर्गत लगाया गया कोई पाटनरोधी शुल्क क्षतिकारी पाटन की प्रतिपूर्ति करने के लिए उस समय तक और आवश्यक सीमा तक लागू रहेगा।*

*(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर या ऐसे किसी हितबद्ध पक्ष के अनुरोध पर जो ऐसी समीक्षा की जरूरत को सही ठहराने के लिए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता हो, जहां आवश्यक हो कोई पाटनरोधी शुल्क लगाए रखने और जहां निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से तर्कसंगत समयावधि बीत चुकी हो, तो उसे लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करेगा और ऐसी समीक्षा के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी स्थिति में उसे रद्द करने की सिफारिश केन्द्र सरकार को करेंगे यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हों कि यदि पाटनरोधी शुल्क को हटाया या उसमें अंतर किया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है।*

9. पूर्वोक्त नियमों के अनुसार, प्राधिकारी के लिए समय-समय पर इस अपनी स्वयं की पहल पर या ऐसे किसी हितबद्ध पक्ष के अनुरोध पर जो ऐसी समीक्षा की जरूरत को सही ठहराने के लिए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता हो, जहां आवश्यक हो कोई पाटनरोधी शुल्क लगाए रखने की समीक्षा करना अपेक्षित है और यदि वह संतुष्ट हों कि ऐसे शुल्क को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार से उसे समाप्त करने की सिफारिश कर सकते हैं।

10. उपर्युक्त आवेदक द्वारा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत को प्रथमदृष्टया उचित समझते हैं।

**च. प्रक्रिया**

11. परिवर्तित परिस्थितियां जिनके कारण लागू उपायों की समीक्षा आवश्यक हो गई है, को दर्शाते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी अब मानते हैं कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित दिनांक 2010/17/14 की अधिसूचना सं. 2012 फरवरी 17-डीजीएडी के जरिए अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम तथा दिनांक 2012/14 की अधिसूचना सं. 2012 जुलाई 3-सीमाशुल्क के जरिए (एडीडी) शुल्कयात्मक द्वारा अधिरोपित केन्द्र सरकार की मध्यावधिक समीक्षा की शुरूआत उचित है और वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के उपबंधों के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एतद्वारा जांच की शुरूआत करते हैं। समीक्षा में दिनांक 17 फरवरी 2012 की अधिसूचना सं. 14/17/2010- डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं।

**छ. जांच अवधि (पीओआई)**

12.वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2014–31 मार्च 2015 की है। तथापि, क्षति जांच अवधि में 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 तथा जांच अवधि शामिल हैं।

**ज. सूचना प्रस्तुत करना**

13. संबद्ध देशों/क्षेत्रों में निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों/उच्चायोगों के जरिए उनकी सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**

**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
**वाणिज्य विभाग**

**चौथा तल, जीवन तारा भवन**

**5 संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001**

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

**झ. समय सीमा**

**15.** वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो नियमानुसार प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

**ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

16. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अभ्यावेदन के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों में प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा- (क) गोपनीय के रूप में अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख) अगोपनीय के रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)। समस्त प्रस्तुत सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर सबसे ऊपर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

17. गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) एवं अगोपनीय पाठ की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

18. गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है अथवा उसका सारांश प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है।

19. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तब प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

20. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

21. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार पर उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**ठ. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>**

22. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

**ड. <u>असहयोग</u>**

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे . के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

**(Department of Commerce)**

**(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)**

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2015

**Initiation**

**(Mid Term Review Investigation)**

**Subject: Initiation of Mid Term Review (MTR) of the anti-dumping duties imposed on the imports of Soda Ash, originating in or exported from China PR, EU, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA.**

**F. No. 15/28/2014-DGAD.—**Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) had initiated an anti-dumping investigation on the imports of the Soda Ash (hereinafter also referred to as Disodium Carbonate or the subject goods), originating in or exported from China PR, EU, Kenya, Iran, Pakistan, Ukraine and USA (hereinafter also referred to as the subject countries/regions) vide Notification No. 14/17/2010-DGAD dated 20th August 2010 and issued its final findings vide Notification No. 14/17/2010-DGAD dated 17th February 2012 recommending imposition of definitive anti-dumping duties. The definitive duties were imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries/regions, by the Central Government, vide Notification No. 34/2012–Customs (ADD) dated 3rd July 2012.

**A. Request for initiation of Mid Term Review**

2. The All India Glass Manufacturers' Federation (AIGMF), a representative body of importers/users of the subject goods, has submitted an application requesting for initiation of a review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods from the subject countries in accordance with section 9A of the Customs Tariff Act 1975 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. They have claimed that the circumstances that were prevalent during the period of investigation of the original investigation have changed significantly leading to a situation where the existing anti-dumping duties are no longer warranted.

**B. Grounds for review**

3. The Applicant has submitted that the import prices of the subject goods have increased significantly; that domestic selling prices have also increased significantly; that the cost of major raw materials have also increased, but not in proportion to the increase in the prices of the imports of the subject goods from the subject countries. The applicant has further submitted that coupled with a significant increase in import prices leading to an increase in the landed value of imports, the injury margin has come down and as a consequence, a need for reviewing the current level of duties has arisen.

**C. Product under consideration and Like Article**

4. The product under consideration is Disodium Carbonate, popularly known as Soda Ash, having chemical formula Na2CO3. Soda Ash is a white, crystalline, water soluble material. Soda Ash is produced in two forms - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is bulk density. Further, soda ash can be either natural soda ash or synthetic soda ash. Both products are essentially the same. However, the present petition includes all types and form of Soda Ash. Soda Ash can be produced through synthetic route and natural route. In case of natural soda ash, dissolution process is employed where natural deposits of Sodium Carbonate occur in a large scale. In case of synthetic soda ash, various types of synthetic process are employed where the natural resources are not available, as is the case in India.

5. Soda Ash is an essential ingredient in the manufacture of detergents, soaps, cleaning compounds, sodium based chemicals, float glass, container and specialty glasses, silicates and other industrial chemicals. It is also widely used in textiles, paper, metallurgical industries and desalination plants.

6. Soda Ash is an inorganic chemical. It is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975, falling under the customs sub-heading No. 2836.20. The customs classification is, however, indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.

**D. Countries/Regions involved**

7. The countries/regions involved in the present investigation are China PR, EU, Kenya, Iran, Pakistan, Ukraine and USA.

**E. Initiation**

8. Sub Rule (1) and (1A) of Rule 23 of the Anti-dumping Rules, as amended vide Customs Notification No. 15/2011 dated 1st March 2011, reads as follows:

> *"(1) Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.*
>
> *(1A) The designated authority shall review the need for the continued imposition of any antidumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.*

9. In terms of the aforesaid rules, the Authority is required to review from time to time, the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review and if it is satisfied that there is no justification for continued imposition of such duty, the Authority may recommend to the Central Government for its withdrawal.

10. On the basis of information made available by the aforementioned aapplicant before the Authority, the Authority considers it prima facie appropriate to initiate a mid-term review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

**F. Procedure**

11. Having regard to the information provided by the Applicant indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Authority now considers that it is appropriate to initiate a mid-term review of the final findings notified vide Notification No.14/17/2010-DGAD dated 17th February 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I and the definitive duties imposed by the Central Government vide Notification No. 34/2012 – Customs (ADD) dated 3rd July, 2012 and the Authority hereby initiates an investigation in accordance with the provisions of Section 9(A) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 of the Rules supra to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties. The review will cover all aspects of Notification No.14/17/2010-DGAD dated 17th February, 2012.

**G. Period of Investigation (POI)**

12. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April, 2014 to 31st March, 2015. The injury investigation period will however cover the periods 2011-12, 2012-13, 2013-14 and the POI.

**H. Submission of Information:**

13. The exporters in subject countries/regions, their Governments through their Embassies/High Commissions in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner as prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

**The Designated Authority**

**Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties**

**Ministry of Commerce and Industry**

**Department of Commerce**

**4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street**

**New Delhi-110001**

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

**I. Time Limit**

15. Any information relating to the present review should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

**J. Submission of information on confidential basis**

16. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

17. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

18. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential, version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**K. Inspection of Public File**

22. In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**L. NON-COOPERATION**

23. In case any interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. K. DADOO, The Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.